

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

**अधिसूचना**

सं. 26/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(128). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (7 का 2017) की धारा की 11 ) उपधारा1यों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार शक्तिके तहत प्रदत्त (, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(7 का 2017) की धारा के तहत परमाणु 9 ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(51 का 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय के तहत आने वाली हैवी वॉटर 28 राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण राज्य कर में -किलयर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर की न्यूकिलयर फ्यूल्सएंड न्यू छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 21-09-से प्रभावशील मानी जाएगी । 2017

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(128). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-74 /2017/वाक/पांच(128), दिनांक 23-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd September, 2017

**NOTIFICATION**  
No. 26 /2017- State Tax (Rate)

No. F-10- 74/2017/CT/V (128). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Chhattisgarh Good and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 21-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.